न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 05/2024
निर्णय दिनांक : 03 .04.2024
GCMS NO : 2024/8

लालचन्द रामपुरिया आयु 72 वर्ष पुत्र स्व. मानमल जाति रामपुरिया ओसवाल निवासी कस्बा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ/सालासर जिला चूरू

................अप्रार्थी

2. मोहनी देवी पत्नी स्व बोदूराम जाति मेघवाल निवासी सालासर तहसील सुजानगढ़
3. भगवानाराम पुत्र खुमाराम जाति मेघवाल निवासी घोटड़ा तहसील सुजानगढ़
4. सज्जन देवी रामपुरिया पत्नी लालचन्द रामपुरिया रामपुरिया ओसवाल निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू

................गौण अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट एवं धारा 88 आरटी एक्ट

उपस्थित :—

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री कुम्भाराम आर्य उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता श्री रमेश बिस्सु एड. उपस्थित।
3. गौण अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके रोही ग्राम गुडावड़ी में खाता संख्या 534 खेत खसरा संख्या 1059/430 प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज स्थित है एवं खसरा संख्या 1202/1183 की खातेदारी भी प्रार्थी के नाम है खसरा संख्या 1182/1060 प्रार्थी की पत्नी के नाम से है एवं 1058/430 मोहनी देवी के नाम से एवं 1662/1617 व 1663/1617 भगवानाराम के नाम से दर्ज है जिसे प्रार्थना—पत्र में वादगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

खसरा संख्या 1059/430 उपरोक्त भूमि प्रार्थी के द्वारा 03.10.2007 को बजरिये विकय पत्र खरीद की गई जो कि संपरिवर्तन आदेश/भूमि रूपान्तरण/006/22 दिनांक 23.06.2006 कार्यालय तहसीलदार सुजानगढ़ के आधार पर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि थी। उक्त खसरा का विक्रय पत्र करवाते समय एवं कार्यालय तहसीलदार सुजानगढ़ के अधार पर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाते समय भूमि के आसा पास एवं संलग्न नजरी नक्शा प्रमाणित करवाया गया जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड तरमीम होना था।

यह कि उपरोक्त भूमि के मूल खसरा संख्या 430 में से बजरिये विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2002 को मोहनी देवी पत्नी बोदुराम के द्वारा दक्षिणी पूर्वी कोने की 18 बिस्वा भूमि खरीद की जाकर कब्जा अधिकार प्राप्त किया, जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में तरमीम होना था जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1058/430 है। प्रार्थी के खसरा संख्या 1059/430 व अप्रार्थी के खसरा संख्या 1058/430 दोनों ही खसरा भूमि एक दूसरे के चिपते है एवं मुताबिक खरीद विक्रय पत्र व संपरिवर्तन आदेश के दोनों की पूर्वी दिशा में सम्पर्क सड़क सालासर से भोगीवाद दर्शा[illegible] वर्तमान मौका स्थिती भी यही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में भूलवश नक्शा [illegible] में तरमीम करते [illegible] खसरा संख्या 1058/430 के पीछे पश्चिमी तरफ खसरा संख्या 1059/430 दर्शायी है जो [illegible] है जबकि वास्तव में खसरा संख्या 1059/430 के दक्षिणी तरफ 1058/430 की भूमि है, [illegible] करने के दिवस से आज दिवस तक है एवं मौके पर खातेदार भी उसी प्रकार से काबिज [illegible] जोकि वर्तमान एक्स में [illegible] संख्या 1663/1667 के खातेदार भगवानाराम के स्थान पर मोहनी देवी का हिस्सा 1058/430 ख[illegible] का

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:26 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

नक्शा तरमीम होना था एवं भगवानराम का खसरा संख्या 1663/1617 मोहनी देवी के हिस्से के पीछे पश्चिम तरफ स्थापित तरमीम होना है।

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 1059/430 व 1058/430 के मध्य जो उत्तर से दक्षिण सीमांकन दर्शाया है गलत है जबकि वास्तव में यह सीमाकन पूर्व से पश्चिम होना था जो दुरस्त किये जाने योग्य है।

मूल प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 1202/1183 की खातेदारी भी प्रार्थी के नाम है एवं खसरा संख्या 1182/1060 प्रार्थी की पत्नी के नाम से है एवं 1058/430 मोहनी देवी के नाम से एवं 1662/1617 व 1663/1617 भगवानाराम के नाम से दर्ज है उपरोक्त तरमीम ऑनलाईन गलत बताई गई है, जिसमें दुरुस्ती की जानी है, जिससे उनका हिस्सा भी प्रभावित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 को गौण पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थी का खेत रोही गुडावड़ी तहसील सुजानगढ़ में स्थित होने के कारण न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है। अतः उपरोक्तानुसार तरमीम दुरूस्त की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से हस्तगत प्रार्थना–पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी रोही ग्राम गुडावड़ी के खसरा संख्या 1058/430 व 1059/430 के पास स्थित खसरा संख्या 1182/1060, 1202/1183, 1662/1617 व 1663/1617 का मौका देखा गया तो खसरा संख्या 1058/430, 1059/430, 1182/1060, 1202/1183, 1662/1617 व 1663/1617 की ऑनलाईन तरमीम अशुद्ध पायी गई है अतः प्रस्तावित तरमीम के अनुसार नक्शा तरमीम को दुरस्त किये जाने की अभिशंषा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चूंकि प्रार्थी ने अपने मूल प्रार्थना–पत्र में तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबित प्रभावित खसराजात के खातेदारों को प्रार्थी ने पक्षकार संयोजित नहीं किया था। प्रार्थी की भूमि के आस पास स्थित खसराजात के खातेदारों को भी प्रभावित होने की स्थिति में प्रार्थी अधिवक्ता ने शेष प्रभावित खसरान के खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर संशोधित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को तलब किया गया गौण अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गौण अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत कर पत्रावली की फर्द अहकाम के हासिया में तरमीम शुद्धी करने में कोई आपति नहीं होने का अंकन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित तरमीम का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन गलत इन्द्राज है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से भी उनके अधिवक्ता ने प्रस्तावित तरमीम शुद्ध किये जाने बाबत कोई आपति नहीं होना जाहिर किया है। राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम गलत होने से प्रार्थी को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम गुडावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के खसरा संख्या 1059/430, 1058/430, 1202/1183, 1182/1060, 1662/1617 व 1663/1617 की ऑनलाईन तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है जिसको आप द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से मौका नक्शा शुद्ध हेतु प्रस्तावित तरमीम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त किया जावे। हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट भी निर्णय का ही अंग रहेगा। तहसीलदार सुजानगढ़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 03 .04.2024 को लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)